न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
59/2021 तारीख फैसला 19.8.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– लटूरबाई उर्फ पाना बाई पत्नी स्व0 मन्ना जी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में वादीनी के खाता संख्या 94 नया पुराना 66 में खसरा नम्बर 443 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 784/142 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 785/455 की 0.10 हेक्टर कुल 3 किता की 0.74 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम लटूरबाई है ओर उसके पिता का नाम भेरू उर्फ भेरिया व पति का नाम मन्नालाल जी हे। पूर्व में उक्त भूमि में वादीनी के पति मन्नालाल जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी उनकी मृत्यु पश्चात वादीनी के खाते दर्ज हुई।

यह कि वादीनी को घर में पाना बाई के नाम से पुकारते है जबकि वादीनी का सही नाम लटूरबाई है। वादीनी के राशन कार्ड , आई डी कार्ड व आधार कार्ड व पेन कार्ड में आदि में लटूरबाई दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में पानाबाई दर्ज है जो गलत है। जिस कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, ऋण आदि लेने मे परेशानी आ रही है। इस लिये वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में वादीनी के खाता संख्या 94 नया पुराना 66 में खसरा नम्बर 443 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 784/142 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 785/455 की 0.10 हेक्टर कुल 3 किता की 0.74 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम पाना बाई के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लटूरबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में लटूर बाई व पानाबाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में वादीनी के खाता संख्या 94 नया पुराना 66 में खसरा नम्बर 443 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 784/142 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 785/455 की 0.10 हेक्टर कुल 3 किता की 0.74 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम पाना बाई के स्थान पर लटूरबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– लटूरबाई उर्फ पाना बाई पत्नी स्व0 मन्ना जी जाति मीणा निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 59/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादीनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में वादीनी के खाता संख्या 94 नया पुराना 66 में खसरा नम्बर 443 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 784/142 की 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 785/455 की 0.10 हेक्टर कुल 3 किता की 0.74 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम पाना बाई के स्थान पर लटूरबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 19.8.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner